न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2017

बउनवान

ओमप्रकाश आयु 50 साल पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीना, निवासी रटावद, तहसील व जिला बारां, (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री हरपाल जाति बैरवा निवासी रटावद तहसील व जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) भू आवंटन अधिनियम, 1970

उपस्थिति :– 1. श्री राजेन्द्र सुमन, अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 29.11.2022

जिला कलक्टर बारां (राज०)

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रटावद में आराजी खसरा नंबर 98 रकबा 1.35 है., 624 रकबा 2.00 है., 646 रकबा 3.37 है., 864 रकबा 0.91 है. व 646/928 रकबा 0.25 है. कुल किता 5 रकबा 7.88 है. प्रार्थी के शामलाती खाते की आराजी है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 है। आराजी खसरा नंबर 646 में से 0.57 है. भूमि वाके रटावद का आवंटन दिनांक 03.06.1994 को न्यायालय एस.डी.ओ. बारां ने अप्रार्थी के नाम कर दिया। अप्रार्थी को आवंटित आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते की आराजी खसरा नंबर 646 का ही एक भू भाग भू पट्टी के रूप में है जिस पर प्रार्थी के दादा व पिता के खातेदारी की आराजी से लगवां है, जिस पर प्रार्थी के दादा व पिता अपने जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी का आवंटन अप्रार्थी के नाम कानून में निहित प्रावधांनों के विपरीत किया गया है। नियम 6(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि अगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हुयी है तो ऐसी भूमि अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही आवंटन किया जाना चाहिये था परन्तु उक्त आराजी का आवंटन गलत रूप से अप्रार्थी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है को किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त आवंटनशुदा आराजी पर अप्रार्थी ने कभी काश्त नहीं की इसलिये उक्त आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.06.1994 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:36:11 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। भू आवंटन रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी को दिनांक 03.06.1994 को भू आवंटन सलाहकार

समिति द्वारा ग्राम रटावद की आराजी खसरा नंबर 646 रकबा 0.57 है. का आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के आवंटन हेतु पहली प्राथमिकता प्रार्थी की थी। अप्रार्थी द्वारा आवंटन तिथि से आज दिनांक तक आवंटित आराजी पर काश्त नहीं की है। आवंटन तिथि के पूर्व से ही अपने जीवनकाल में प्रार्थी के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 646/928 रकबा 0.25 है जिस पर आने जाने का रास्ता आवंटित भूमि में होकर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.06.1994 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी प्रार्थी के दादा की थी जो सिलिंग में अधिग्रहित की जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अप्रार्थी को आवंटित की गई थी। अप्रार्थी को आवंटन आदेश दिनांक 03.06.19984 की पालना में दखल दिया गया तथा आवंटित आराजी पर आवंटन शर्तों की पालना करने के उपरान्त अप्रार्थी को आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर पूर्व में एवं आवंटन के पश्चात अपने जीवनकाल में प्रार्थी के पिता तथा उनके बाद स्वंय का कब्जा होने तथा अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने के सम्बन्ध में कोई सबूत दस्तावेज पेश नहीं किये हैं न ही आवंटित भूमि रास्ते की होने बाबत ही कोई दस्तावेज पेश किये हैं। प्रार्थी को किये गये आवंटन में कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested